

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 18 / प्र०अ०-भवन / जोन-१ / प्रस्ता०/ 2014-15 दिनांक 05/10/2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति ३०५० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न इनकाना बालिये कि उस भूमि के संबन्ध में जिस पर प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी ब्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इकाय स्थानीय अधिकारी वा व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई असर पढ़ेगा। अर्थात् यह अनुमति किसी के गिलिक्यत या स्थानिक्य के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।



लाठ १०को अद्यवाल डायरेक्टर, स्टेटिनम इन्फ्राजोग प्राप्ति० द्वारा भवन राँ०-५१ ५०एन० झौं मार्ग, प्लाट न०-५१वी जार्ज टाउन इलाहाबाद जोन रांध्या (१) को अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र की रवीकृति/निर्माण उपचायक गहोदय के अनुमोदनादेश दिनांक ३०.०९.२०१५ के द्वारा निर्मानित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान वरी जाती है :-

१. ३०५० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (१) के प्राविधिकों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जावेगा। भवन निर्माण एवं विकास उपचायक २००८ में उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रगाथ-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृति अनिवार्य (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्माण किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वार्ताविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा रवीकृत गानवित्र सम्बन्धी प्रिवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिरामें आर्किटेक्ट/इंजीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
४. स्थल पर ०८ अद्यर पृष्ठा लगाने होंगे तथा वृक्षों को ८८ सरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
५. स्थल पर रोलर टाटर हैटिंग रायन्ट्र की रथापना आवश्यक रूप से की जावेगी।
६. स्थल पर रेनवाटर हार्डेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तात्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्माण किया जायेगा।
७. मेडिकल पेस्ट का निरतारण अनिवार्य तप से बायोमेडिकल पेस्ट मैनेजमेन्ट एवं हैंडलैंग रूल्स १९९८ अथवा अन्य प्रभावी नियमों के अनुसार रुनिश्चित किया जाव तथा समय-समय पर नवीनीकरण भी कराया जाय।
८. नार्सिंग होम में संक्रान्त रोग का इलाज निविल लेगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र (संख्या-७२AC ६२३०३७ दिनांक १२.०९.२०१५) का अदारश अनुपालन बाल्यकारी होगा।
९. मुख्य गम्न शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र संख्या-२०१५/९४४४/Ald/Allahabad/९८/CFO दिनांक ०६.५.२०१५, मुख्य अधिकारी-विद्युत ली अनापत्ति पत्रांक : ३५८४/५०३०(विं.)/५०५०/पी-२(मानवित्र) दिनांक १०.८.२०१५ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : ३१०/८१५/PWD/१५ दिनांक २४.०६.२०१५ में अंकित प्रतिबन्धों का अदारश अनुपालन करना होगा। (आयाप्रति सलग्न)

*Land Survey map with
Permit Letter*

-2


इलाहाबाद
५४३८८४३१



Proposed Hospital Building For M/s
PLATINUM INFRAZONE (Pvt.)
LTD. At House No. 5, Amarnath Jha
Marg, Plot no. 51-B, George Town,
Allahabad

Platinum Infrazone Pvt.
B-522-A, A-520 & C-521
Sector-10, Noida
U.P. - 201301
Ph. 0120-4050000


OWNER
DR. V.K. AGRAWAL
(Director)


ARCHITECT

It is certified that the Plan has been prepared as per
the Master Plan and Building Bye Laws, 2008

No. Date: 19-09-14 DRAWING NO.: 2/4

aakaar
ARCHITECTS & INT. DESIGNER
32C/6A01, Sachchi Vihar Colony,
Auckland Road, (Near Bahuguna Mkt.)
ALLD-211001, PH-0532.....





SECTION -AA

(SCALE : 1:100)

SCHEDULE OF DOOR & WINDOW

DW1 1500x2550

DOOR

D1 1000x2100

D2 750x2100

D3 1500x2100

WINDOW

W 1800x2550

WI 2400x2550

VENTILATOR

V 900x450 2100

PLATINUM INFRAZONE (Pvt.) LTD.

W V Director

OWNER
DR. V.K. AGRAWAL
(Director)

B.Arch./A.I.A. /E.G.D./G.W.D.
Regd. No. 1022/1555
C.G. Architect

ARCHITECT

It is certified that the Plan has been prepared as per

the Master Plan and Building Bye Laws 2008

N Z

Date:
16-08-14

DRAWING NO.: 3/4

aakaar

ARCHITECTS & INT. DESIGNER
32C/16/A/01, Sachcha Vihar Colony,
Auckland Road, (Near Bahuguna Mkt.)
ALLD.-211001, Ph.-0522.....

